

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर,

कैम्प भोपाल

R-76-PP/17

प्रकरण क्र. :

01. श्रीमती अंजू पत्नी अजय कुमार, वयस्क
निवासी - पिपरिया, तहसील पिपरिया

02. योगेन्द्र माहेश्वरी आत्मज श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी
निवासी - काबरा कॉलोनी, पिपरिया,
तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद

..... प्रार्थीगण

विरुद्ध

01. फुलिया बाई पुत्री स्व. हल्के हरभजन

02. मुलिया बाई पुत्री स्व. हल्के हरभजन
दोनों निवासी - गाँधी वार्ड, पिपरिया

03. मध्यप्रदेश शासन

द्वारा कलेक्टर, जिला होशंगाबाद

..... प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध
आदेश दिनांक 10.11.2016, जो प्रकरण क्र. 58/अपील/13-14 में
न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद
द्वारा पारित किया गया।

महोदय,

(Signature)

*श्रीमती अंजू पत्नी अजय कुमार
वयस्क
27/12/16
5B21
Q*

*Filed
28/12
27/12*

अंजु / फुलिया लई

R-76-PBR/17

दोरी जावाइ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19-6-19	<p>आवेदक पक्ष को जोर से सूचना उपरोक्त कोई उपाय नहीं। आवेदक पक्ष को तीन बार पुकार लगाई गई, परन्तु आवेदक पक्ष को जोर से कोई उपाय नहीं हुआ। प्रकृत आवेदक पक्ष के सूचना उपरोक्त अनुपायित रहने के कारण प्रकृत अदम करनी से शरीर निष्कासित जाया है।</p>	<p><i>(Signature)</i> अदम</p>

(Signature)
23/6